2016/00064

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 62/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. मांगीलाल पिता पूजिंया जी भील, निवासी भरतलिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. गेबू पिता गलिया जी भील, निवासी भरतलिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. छगन पिता गलिया जी भील, निवासी भरतलिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. तहसीलदार आम्बापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन
दिनांक 29.06.2016 प्र.सं. 6/05

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री डी. के. निगम अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 20–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 111, 157, 158, 197, 237/169, 163, 122 कुल किता 7 रकबा 40 बीघा 6 बिस्वा भूमि ग्राम भरतलिया में स्थित है, जिसके मूल पुरूष पूजिया जी होकर उनके 2 पुत्र गलिया व मांगीलाल प्रतिवादी संख्या 1 हुए। गलिया फोत हो

चुका है, जिसके वारिस वादीगण हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बाले–बाले आराजियात अपने नाम अंकित करवा ली तथा वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः विवादित भूमियों का विभाजन करवाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 7 तनकियात कायम की गयी तथा उभयपक्षों को सुनने के बाद तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29–06–2016 से वादीगण का वाद स्वीकार डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री डी. के. निगम उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी को शहादत का अवसर दिये बिना प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की अंतिम बहस सुने बिना निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया है, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक

एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम...............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰** ....

मांगीलाल पिता पूंजिया भील, नि0 भरतलिया, तह. व जिला बांसवाड़ा	बनाम	**गेबू पिता गलिया भील, निवासी भरतलिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं॰...........**62/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
..... **छोटी सरवन** .... मुकाम.............मुवर्खे.........**29**...............माह.............**06**.............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**20**....माह........**02**.......सन् **2020** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री यशपाल गुप्ता**..........मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री डी.के. निगम**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**20**.....माह.......**02**...........**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:00:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: